2019/00022

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :— कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2019 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्रीमती जवदा बेवा मोगजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती अमृत पुत्री मोगजी पत्नी जगदीश जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती हाकेर पुत्री मोगजी पत्नी पदमजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. कुरिया पिता दला के वारिस :—

1/1. लालजी पिता कुरिया जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. कालिया पिता कुरिया जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. मणीया पिता कुरिया जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/4. धनजी पिता कुरिया जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/5. डायालाल पिता कुरिया जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. हिरजी पिता धनजी के वारिस :—

2/1. पदमजी पिता हिरजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/2. पेमजी पिता हिरजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/3. लालजी पिता हिरजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/4. लाटकी बेवा हिरजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/5. श्रीमती कमला पुत्री हिरजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के वारिसान :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:50 IST
Reason: Self Attested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

2/5/1. जयरूप पुत्र रामजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/5/2. गणेश पुत्र जयरूप जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/6. श्रीमती धापु पुत्री हिरजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. देवजी पिता धनजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.),

4. जेरू पिता धनजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. पप्पु पिता रामजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. श्रीमती रूपा पत्नी रामजी जाति पटेल निवासी उपली मोरडी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गनोड़ा, जिला बांसवाडा (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
घाटोल दि॰ 06.06.2018 प्र.सं. 12/13

———::———

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रे.सं. 1/1 से 2/3, 2/6
3. श्री सोहनलाल चरपोटा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 5

———::———

निर्णय **दिनांक 28.01.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक खाता नम्बर 48 संवत 1915–16 वजेंग पिता कोदर, वेलजी पिता कोदर एवं दल... पिता कोदर तीनों भाई के खाते के नये खाता संख्या 29 ... 19 ... 31 कुल रकबा 6.75 हैक्टेयर वाके ग्राम उपली मोरडी, तहसील घाटोल जिला बासंवाडा में स्थित है वह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ... है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:50 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

खाता संख्या 219 नया 171 पुराना कुल खेत 15 कुल रकबा 1.81 हैक्टेयर वाके ग्राम उपली मोरडी में प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज है वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 संयुक्त खाते और स्वामित्व के है। वादीगण काबिज होकर काश्त की उपरोक्त भूमि संयुक्त परिवार की जायदाद हे एवं संयुक्त परिवार में रहकर उक्त भूमि निकाली गयी है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के पूर्वज दला, वजेंग पिता कोदर ने वादी के पूर्वजों की जानकारी के बिना प्रतिवादी के पूर्वजों ने अपने नाम करा ली जबकि वादीगण हक कानूनन निहित है। जिस कारण वादीगण सहखातेदार कृषक घोषित करना आवश्यक है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित किया जावे एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

2. प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा गलत वंशावली प्रस्तुत की गई है। वेलजी लाऔलाद फोत हो गए तथा शादी के तुरन्त बाद उनकी मृत्यु हो जाने से उनकी पत्नी अन्यत्र नाते चली गयी। वीरजी के नुफ्ते से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। वादीगण का मौके पर कोई कब्जा एवं हक नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 3 तनकीयां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 06.06.2018 को निर्णय पारित करते हुये वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील दिनांक 07.02.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि अपीलान्ट ने दिनांक 31.10.2018 [illegible] हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन विधानसभा चुनाव होने से अपील [illegible] निर्णय की प्रति दिनांक 19.10.2018 को ली गई [illegible] क्षमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:50 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

किया जाकर अपील समयावधि में स्वीकार फरमायी जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टगण ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्यों तथा तनकीयों का विवेचन नहीं कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय बनायी गई तनकीयों अनुसार विवेचन नहीं किया है। अपीलान्टगण के पूर्वज वेलजी का लड़का मोंगजी था। अपीलान्ट संख्या 1 मोंगजी की पत्नी है तथा अपीलान्ट संख्या 1, 2 मोंगजी की पुत्रियां होकर मोंगजी की पैतृक कृषि भूमि के साथ–साथ उनके आवासीय मकान में निवास करती है। विवादित भूमि में अपीलान्टगण का 1/3 हिस्सा निहित होकर विभाजन व घोषणा की अधिकारी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

8. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में गलत सजरा प्रस्तुत किया गया है। मोंगजी, वेलजी का पुत्र नहीं है, क्योकि वेलजी लाऔलाद फोत हुए विवादित भूमियां मोंगजी के नाम कभी नहीं रही। अपीलान्टगण का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है न ही इनका कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

9. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 अनुसार खाता संख्या 29 की कुल आराजीयात 31 रकबा 6.72 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कुरिया के खातेदा[illegible] जबकि खाता संख्या 219 के कुल खेत 15 रकबा 1.81 हैक्टेयर [illegible] संख्या 2 से 6 के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात [illegible] के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:50 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

कभी भी दर्ज नहीं रही है, बल्कि प्रदर्श 2 अनुसार खाता संख्या 48 की आराजी नम्बर 79, 84, 93, 235, 559/120, 570/213 वजिंग, वेलजी, दलजी के खातेदारी में दर्ज है, किन्तु उक्त आराजी के हाल आराजी नम्बर क्या है, इस बाबत् वादीगण द्वारा कोई मिलान खसरा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा हम यह भी पाते है कि अपीलान्ट/वादीगण वेलजी की ही वारिस हो तथा उनके पिता मोगजी, वेलजी के पुत्र हो इस बाबत् भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में वादीगण यह साबित कराने में असफल रहे है कि विवादित आराजीयात उनके संयुक्त खाते एवं स्वामित्व की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण को वेलजी का वारिस साबित होना नहीं मानकर वाद खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2018 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

28.1.26

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती जवदा बेवा मोगजी पटेल, नि. उपली मोरड़ी, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **कुरिया के बजाय लालजी पिता कुरिया पटेल नि. उपली मोरड़ी, तह. गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**02/2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**घाटोल**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**06**.....माह.....**06**.....**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**.....माह.....**01**.....सन् **2026** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मुकेश द्विवेदी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री यशपाल गुप्ता** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–06–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें ।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**01**.....**2026** को जारी किया गया ।

28.1.2026

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:50 IST
Reason: SelfAttested